(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3804–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद प्रकरण कमांक 17/अ–27/अपील/2014–15.

बाबूलाल पिता शिवा पाटीदार
निवासी कसरावद
तहसील कसरावद जिला खरगोन .....आवेदक

विरूद्ध

1– लाडकीबाई पति नत्थुलाल पाटीदार
2– दयानन्द पिता नत्थुलाल पाटीदार
3– भवानीराम पिता नत्थुलाल पाटीदार
4– नरेन्द्र पिता नत्थुलाल पाटीदार
निवासीगण ब्राम्हण मोहल्ला
तहसील कसरावद जिला खरगोन .....अनावेदकगण

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, कसरावद के प्रकरण कमांक 63/अ–27/13–14 में पारित आदेश दिनांक 5–1–15 के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद के समक्ष दिनांक 23–5–15 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–27/2014–15 दर्ज कर दिनांक 30–10–2015 को आदेश पारित

कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण को तहसीलदार के आदेश की जानकारी प्रारंभ से रही है, क्योंकि तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 5–1–15 पर अनावेदक कमांक 3 भवानीराम के हस्ताक्षर है, जिस पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक, अनियमित एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने के सम्बन्ध में कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आपसी सहमति से हुए बटवारे के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रचलन योग्य नहीं थी, जिस अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं करने में गम्भीर त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 132 (उच्च न्यायालय), 2013 आर.एन. 104 एवं 2014 आर.एन. 220 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा आदेश की जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की सहमति लिये बिना, आपसी बटवारे के तथ्यों के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है और ऐसे अवैधानिक एवं विधि विपरीत आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्तरिम आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया है और उनके द्वारा अभी अपील का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के आदेश को अनावेदक कमांक 3 भवानीराम द्वारा नोट किया गया है । अतः यह माना जायेगा कि अनावेदक पक्ष को तहसील न्यायालय के आदेश की

जानकारी प्रारंभ से थी । अतः अनावेदक पक्ष को निर्धारित समयावधि में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, किन्तु उनके द्वारा दिनांक 23–5–15 को 4 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये विलम्ब क्षमा किया गया है, जो कि उचित नहीं है । इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2000 आर.एन. 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 5–विलंब की माफी–ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाए तथा अन्य का अहित नहीं हो ।
>
> ''धारा 5–अधिनियम के उपबंध–उद्देश्य–जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो–विलंब की माफी से ऐसी अंतिमता समाप्त हो सकती है ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, कसरावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2015 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर